

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-योजना/बजट घोषणा/कैंसर केयर/प्रशिक्षण/2018/1372 दिनांक :- 28.11.18

संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 1291 दिनांक 12.10.18 द्वारा उज्जैन में नर्सिंग स्टाफ के लिए कैंसर केयर प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम जारी किया गया था। उक्त आदेश में आवश्यक कारणों से निम्नानुसार संशोधन तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं। शेष आदेश पूर्ववत् रहेगा।

क्र.सं.	जिला/जिला चिकित्सालय	पूर्व में नामित नर्सिंग स्टाफ	संशोधन पश्चात नामित नर्सिंग स्टाफ	संशोधित नर्सिंग स्टाफ का मोबाईल नम्बर
1	बारां	श्रीमती राजेश मीना, पीएचसी, फतेहपुर	श्रीमती ममता मीना, नर्स ग्रेड-2, पीएचसी, बोहत	प्रथम चरण में प्रशिक्षणरत
2	जैसलमेर	श्रीमती मनिषा यादव, नर्स ग्रेड-2	श्रीमती रंजीता अरोडा नर्स श्रेणी-2	7527004249
3	सैटेलाईट हिरण मगरी, उदयपुर	गितेश सम्मबारा नर्स ग्रेड-2	श्रीमती ज्योति बाला नर्स ग्रेड-2	9799272510

उक्त संशोधन सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-योजना/बजट घोषणा/कैंसर केयर/प्रशिक्षण/2018/1372 दिनांक :- 28.11.18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री महोदय, राज. सरकार।
3. निजी सचिव, अ.श. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, अ.श. शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, मध्यप्रदेश।
5. निजी सचिव, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) राजस्थान, जयपुर।

7. शासन उप सचिव चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि प्रशिक्षण हेतु संबंधित अधीक्षकों को अपने स्तर से भी आवश्यक निर्देश प्रदान करें।
8. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज0 जयपुर।
9. अति0 निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार नर्सिंगकर्मियों को प्रशिक्षण में उपस्थित होने हेतु पाबंद करें।
10. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
11. डॉ0 संदीप जसूजा, विभागाध्यक्ष, मेडिकल ऑन्कोलोजी, एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर।
12. डॉ0 सी0 एम0 त्रिपाठी, नोडल अधिकारी कैंसर केयर, कैंसर यूनिट, जिला चिकित्सालय, उज्जैन (मध्यप्रदेश) (09425444017) को प्रेषित कर अनुरोध है कि प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले नर्सिंगकर्मियों की सूचना एवं प्रशिक्षण पूर्ण होने पर प्रशिक्षण अवधि का उपस्थिति प्रमाण पत्र इस कार्यालय को ई-मेल jdplan09@gmail.com पर प्रेषित करावें।
13. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य समस्त जोन राजस्थान।
14. संबंधित अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपके अधीनस्थ कार्यरत नर्सिंग स्टाफ को उपरोक्तानुसार अपना रिजर्वेशन करवाकर प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु पाबंद करते हुये उचित समय पर कार्यमुक्त करें। आप द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय को ई-मेल jdplan09@gmail.com पर प्रेषित करावें।
15. संबंधित नर्सिंगकर्मियों को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी पालनार्थ प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि वे प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार अपनी यात्रा (आने-जाने) की अग्रिम व्यवस्था (बुकिंग) सुनिश्चित करें एवं नियत तिथि को प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।
16. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करते हुए सभी संबंधित को ई-मेल करें।
17. प्रभारी कन्ट्रोल रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न सूची अनुसार प्रशिक्षणार्थियों को दूरभाष पर सूचित करावें।
18. रक्षित पत्रावली।


 निदेशक (जन स्वास्थ्य)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
 राजस्थान, जयपुर